

कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा, छ0ग0

क्रमांक 517 / स्था. / 2024

अम्बिकापुर, दिनांक : 12/08/2024

आदेश

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर अटल नगर के पत्र 574/126/आउशि/राज. स्था/2024 नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 77/वि.स./स./उ.शि./2024 दिनांक 12.07.2024 के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को निम्नानुसार विषयों में निम्न शर्तों के अध्याधीन नियुक्त किया जाता है।

01. यह नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था के तहत किया जा रहा है तथा यह व्यवस्था सत्र 2024-25 में 11 माह तक के लिए है। स्थानान्तरण अथवा नियमित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के कार्यभार ग्रहण करते ही स्वमेव समाप्त हो जाएगी। साथ ही आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण आपकी नियुक्ति कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।
02. शासन द्वारा दिनांक 06.07.2024 को जारी आदेशानुसार मानदेय की पात्रता होगी।
03. अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
04. आप महाविद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन को ध्यान में रखकर कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश निरस्त माना जावेगा।

क्रमांक	अतिथि व्याख्याता का नाम	विषय
1	डॉ. शिवानी गुप्ता	प्राणीशास्त्र
2	डॉ. राजेश्वरी ठाकुर	भौतिकशास्त्र
3	सोनिया पटेल	गणित
4	डॉ. हरिचरण पाण्डेय	रसायनशास्त्र
5	बबीता पाण्डेय	रसायनशास्त्र
6	नूर मोहम्मद	भूगर्भशास्त्र
7	गजराज नायक	अंग्रेजी
8	डॉ. राजीव जाना	भूगोल
9	डॉ. हर्षदीप सिंह धंजल	समाजशास्त्र

(डॉ. रिजवान उल्ला)

प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा

पृ. क्रमांक 518 / स्था. / 2024
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक: 12/08/2024

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
02. विभागाध्यक्ष राजीव गांधी शास. पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर।
03. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
04. लेखा शाखा, राजीव गांधी शास. पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर।
05. कार्यालयीन प्रति।

(डॉ. रिजवान उल्ला)

प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा

कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा, छ0ग0

क्रमांक 519 /स्था./2024


अम्बिकापुर, दिनांक : 12/08/2024

आदेश

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर अटल नगर के पत्र 574/126/आउशि/राज. स्था/2024 नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 77/वि.स./स./उ.शि./2024 दिनांक 12.07.2024 के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को निम्नानुसार विषयों में निम्न शर्तों के अध्याधीन नियुक्त किया जाता है।

01. यह नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था के तहत किया जा रहा है तथा यह व्यवस्था सत्र 2024-25 में 11 माह तक के लिए है। स्थानान्तरण अथवा नियमित क्रीड़ा अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करते ही स्वमेव समाप्त हो जाएगी। साथ ही आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण आपकी नियुक्ति कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।
02. शासन द्वारा दिनांक 06.07.2024 को जारी आदेशानुसार मानदेय की पात्रता होगी।
03. अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
04. आप महाविद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन को ध्यान में रखकर कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश निरस्त माना जावेगा।

क्रमांक	नाम	पद
1	अयाज अहमद खान	अतिथि क्रीड़ा अधिकारी


(डॉ. रिश्वान उल्ला)

प्राचार्य
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा

पृ. क्रमांक 520 /स्था./2024
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक: 12/08/2024

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
02. विभागाध्यक्ष राजीव गांधी शास. पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर।
03. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
04. लेखा शाखा, राजीव गांधी शास. पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर।
05. कार्यालयीन प्रति।


प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा